



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 07, 2014/फाल्गुन 16, 1935

No.610]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 07, 2014/PHALGUNA 16, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2014

का.आ. 719(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 660 (अ), तारीख 27 सितम्बर 1996 और का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा बिहार राज्य में (अब झारखण्ड राज्य में) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 398.750 किलोमीटर से 441.440 किलोमीटर (बरवा अड्डा से बाराकर सेक्शन), और पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 441.440 किलोमीटर से 474.00 किलोमीटर (बिहार/पश्चिम बंगाल सीमा से रानीगंज सेक्शन) तथा 474.000 किलोमीटर से 516.000 किलोमीटर (रानीगंज-पानागढ़ सेक्शन) और 516.000 किलोमीटर से 670.000 किलोमीटर (पानागढ़ से कलकत्ता सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर बरवा अड्डा-पानागढ़ सेक्शन के 398.240 किलोमीटर से 521.120 किलोमीटर तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) (प्राधिकरण ने यह पुष्टि की है कि पुराना चैनेज 398.750 किलोमीटर से 521.120 किलोमीटर था और बरवा अड्डा से नए चैनेज के कारण प्रारम्भिक बिन्दु अब 398.240 किलोमीटर है तथा बाइपास/लम्बाई के सामंजस्य के कारण बीच की लम्बाई में कुछ वृद्धि हो जाने के कारण समापन चैनेज अब 521.120 किलोमीटर है। सौंपे गए खण्ड की वास्तविक शुरुआत तथा समाप्ति वही की वही है) के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु तारीख 11 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत की गई बोली के लिए मैसर्स बरवा अड्डा एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आइएल एण्ड एफएस फाइनेंशियल सेन्टर, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बान्द्रा-कुरला कम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051, महाराष्ट्र, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 08 मई, 2013 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838, (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के तहत प्रकाशित किया गया था तथा जिसमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 और सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 593 (अ), तारीख 08 मार्च, 2013 का अधिकरण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिकरण से पहले कर ली गई हैं या करने से पहले लोप करा दी गई हों, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि पश्चिम बंगाल राज्य में निर्माण की

अवधि के दौरान उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 116.486 किलोमीटर हेतु और छः लेन का बना लिए जाने के पश्चात् छः लेन के खण्ड के उपयोग हेतु 114.76 किलोमीटर के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और 398.240 किलोमीटर से 521.120 किलोमीटर तक उक्त खण्ड (बरवा अड़डा-पानागढ़) के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 8.12 किलोमीटर लम्बाई के बाइपास, जिसकी लागत दस करोड़ रुपए या अधिक है, के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, करार में यथा-निर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

(i) निर्माण की अवधि के दौरान संदेय शुल्क:

(क) नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान विद्यमान (डिजाइन) चैनेज	लंबाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
438.500 किलोमीटर (डिजाइन चैनेज) धनबाद जिले में बेलियाद और मेरहा गांव के पास	116.486

(ii) छह लेन को पूरा कर लिए जाने बाद संदेय शुल्क:

(क) नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान विद्यमान (डिजाइन) चैनेज	लंबाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
438.500 किलोमीटर (डिजाइन चैनेज) धनबाद जिले में बेलियाद और मेरहा गांव के पास	66.760
507.000 किलोमीटर (डिजाइन चैनेज) बर्दवान जिले में बान्सकोपा के पास	48.00

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	दस करोड़ से अधिक की लागत वाले बाइपासों की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
507.000 किलोमीटर (डिजाइन चैनेज) बर्दवान जिले में बान्सकोपा के पास	8.12 (पानागढ़ बाइपास) (डिजाइन चैनेज 513.00 कि.मी) 513.00 कि.मी से शुरु होकर (डिजाइन चैनेज 521.120 कि.मी) पर विलायन स्थल तक

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो सौ पन्द्रह रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमाम्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे तक
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की दिनांक से एक मास तक

4. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे, उन्हें ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।
6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
8. शुल्क की दरों में वृद्धि किसी भी हालत में इससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में लागू दरों के 25% से अधिक नहीं होगी ।
9. ऊपर सारणी 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा। शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार, शुल्क में वार्षिक तौर पर संशोधन एक अप्रैल को किया जाएगा तथा उसे प्रकाशित करवाया जाएगा।, परन्तु शर्त यह है कि ऐसा संशोधन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वाणिज्यिक प्रचालन का तारीख से (छह) मास की अवधि समाप्त न हो गई हो।

[फा. सं. भाराराम्रा/13013/673/सीओ/11-12/जीसी दुर्गापुर (398.240-521.120)बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2014

S.O. 719(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 660 (E), dated the 27th September, 1996 and S.O. 78 (E) dated 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from Kilometre 398.750 to Kilometre 441.440 (Barwa Adda to Barakar section) of National Highway No. 2 in the State of Bihar (now in the state of Jharkhand), Kilometre 441.440 to Kilometre 474.00 (Bihar/West Bengal Border to Raniganj section) and Kilometre 474.000 to Kilometre 516.000 (Raniganj – Panagarh section) and Kilometre 516.000 to Kilometre 670.000 (Panagarh to Calcutta section) of National Highway No. 2 in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (herein after referred to as said agreement) on 08th May, 2013 with M/s. Barwa Adda Expressway Limited having its registered office at IL & FS financial Centre, Plot C-22, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051, Maharashtra, India (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), for bids submitted on 11th February, 2013 for the operation and Maintenance of Barwa Adda-Panagarh section from Km. 398.240 to Km. 521.120 (Authority has confirmed that the old chainage was from Km. 398.750 to Km. 521.120 and due to new chainage from Barwa-Adda, the starting point is now Km. 398.240 and due to some increase in intermediate length on account of bypass/reconciliation of length, the end chainage is Km. 521.120. The physical beginning and end of the entrusted stretch remains same) on NH- 2 (hereinafter referred to as the “said section”) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E) dated the 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011 and G.S.R. 756(E) dated 12th October 2011 (hereinafter referred to as the “Rules”), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and

Highways number S.O. 593(E), dated the 8th March, 2013. except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 116.486 Kilometre during the construction period and 114.76 Km. after the construction of six laning for use of the six lane sections and operation and maintenance of the section (Barwa Adda-Panagarh) from Km. 398.240 to Km. 521.120 in the State of West Bengal (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypass of length 8.12 Kilometre costing Rupees ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plazas:

(i) Fee payable during Construction Period:

A. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) Existing {Design} chainage	Length (in km) for which Fee is payable
Km. 438.500 (design chainage), near Belyad & Merha village in Dhanbad district	116.486

(ii) Fee payable after completion of six laning:

A. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) Existing {Design} chainage	Length (in km) for which Fee is payable
Km. 438.500 (design chainage), near Belyad & Merha village in Dhanbad district	66.760
Km. 507.000 (design chainage), near Banskopa in Burdwan District	48.000

B. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses at the following Toll Plazas:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) of bypasses costing more than 10 crores for which additional fee is payable
Km. 507.000 (design chainage), near Banskopa in Burdwan District	8.12 (Panagarh Bypass) taking off at Km. 513.00 (design chainage Km. 513.00) & merging at Km. 520.230 (design chainage Km. 521.120)

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs.215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.
5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rule.
8. The increase in the rates of the fee shall in no case be more than 25% of the rates of the fee applicable in the immediately preceding year.
9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each English and vernacular language. The fee shall be revised annually on April 1 in accordance with the provisions of the Fee rules; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of (Six) months has elapsed from COD and the same shall be published.

[F. No. NHAI/13013/673/CO/11-12/GC Durgapur (398.240-521.120) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.